हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

23/12/21 पत्रावली पेश। वकील उप० प्रार्थी। वकील की बहस सुनी गई। प्रकरण आदेश हेतु दिनांक 24/12/21 को नियत हो। 245 —

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

24/12/21 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उप० प्रार्थी। वकील की प्रार्थना पत्र के कारण बहस सुनी गई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारतत्व यह कि हाल आ० स० नं० 911 वाके ग्राम रानोठ तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित होकर प्रार्थी की खाते की काश्त सातदरी की आराजी है जिसके तरफ पूर्व के अप्रतीजिन की आ० स० नं० 973/912, 974/912 तथा तरफ दक्षिण के आ० स० नं० 970/909, 971/909 लगती हुई है तथा प्रार्थी वाके ग्राम पेहल काई है तथा अप्रतीजिन स्थानीय होकर वाके ग्राम रानोठ के निवासी है जो आवेदिन डोल तोड़ कर अपनी आराजी के चिलात रखे है डोल की नितमा करते है आदि आदि का निवेदन करते हुए स्वयं की आराजी स० नं० 911/0.80 हैक्टर वाके ग्राम रानोठ की पुनः पैमाइश कराई जाकर पैमाइश अनुसार पत्थरगढ़ी कराये जाने का निवेदन किया है। नीकि इसी अनुसार अप्रतीजिन नं० 6 लगा 9 के पर्चे अधिक न होने से अदालत आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारीज किये जाने का निवेदन रखा। वकील उप० हर्जे खर्चे खारीज किये जाने का निवेदन रखा। दोनों के बहस सुनी गई। वकील के अपने-अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए अवलोकन किया। पत्रावली व पत्रावली के प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। उपलब्ध विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार करती है।

आदेश

उपलब्ध विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आ० स० नं० 911/0.80 हैक्टर वाके ग्राम रानोठ तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज०) की नियम प्रक्रियानुसार मौजूदगी में पुनः पैमाइश कराकर पत्थरगढ़ी तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो। शीर्षक प्रार्थना पत्र

245
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Si Rajawat
Date: 2021.03.08 10:22:33
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उक्त निर्णय का अक्षरशः अंग्रेजी / पंजाबी में अनुवाद हो। नम्बर के बाद ही पक्ष को मय अनुवाद फिला लेकर बुलाया जाये। 24/2/21

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.08 10:22:33 IST
Reason: SelfAttested